



पुष्कर (अजमेर)  
उपखण्ड अधिकारी  
(आर.ए.एस.)

सुखाराम पिण्डेल

14.01.2022

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

यथावत रखते हुये नियमानुसार श्री.सु.रास्ता दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

श्री.सु.रास्ता दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।  
तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रेषित नजदी नद्वी में गाल स्याही से अतिकानुसार (रास्ते की चौड़ाई लगभग 04.50 रकबा 0.28 है) किस्म बाराही 2 में से 130 वर्गमीटर कुल किला 01 कुल रकबा 130 वर्गमीटर का इन्दाज निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर के वरगाहा भूमि के खसरा नम्बर 2164/2772 प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर तहसीलदार पुष्कर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशप्ता की है। इस पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में श्री.सु.रास्ता दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।  
श्री.सु.रास्ता दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।  
तहसीलदार पुष्कर के वरगाहा भूमि के खसरा नम्बर 2164/2772 रकबा 0.28 है) किस्म बाराही 2 में से दिनांक 19.03.2021 में प्रदत्त निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम महादेव अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/राजस्व/2021/9718-46 दिनांक 17.08.2021 तथा पत्रांक 3615-43 सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2003/पाट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर जमाबन्दी, नकल नद्वी, प्रस्ताव (तहसीलदार), अभिशप्ता तहसीलदार पुष्कर एवं राजस्व ग्राम-6 राजस्थान अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दरखावा नकल तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व दिनांक : 14.01.2022

॥ आदेश ॥

राजस्थान सरकार जयपुर तहसीलदार पुष्कर

बनाम

ग्राम पंचायत गनाहेड़ा जयपुर, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा



प्रार्थना पत्र संख्या - 25 / 2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर